न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3173–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 258/2010–11/अपील

.....

जय माता दी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 ग्वालियर
द्वारा अध्यक्ष गोविंद प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री जे0 पी0 गुप्ता
निवासी शांती भवन हनुमान चौराहा, लश्कर ग्वालियर

–अपीलार्थी

विरूद्ध

1 राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री आत्माराम उपाध्याय
साईट नंबर सिटी सेंटर ग्वालियर
2 पप्पू पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह कुशवाह
निवासी सिकन्दर कंपू ग्वालियर
3 म0 प्र0 शासन जरिये कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक

––प्रत्यर्थीगण

– – – – –

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच0 के अग्रवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 3

–– –

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक: 27 मई, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47–क (5) के अंतर्गत अपर आयुक्त,

ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा दस्तावेज कमांक 1/अ/3714 दिनांक 18–3–2005 को पंजीकृत कराया गया । उक्त दस्तावेज को दिनांक 4–9–2004 को निष्पादित होना बताया जाकर अपीलार्थी जय माता दी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 ग्वालियर द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त की गई । इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा शिकायत के आधार पर अधिनियम की धारा 47 (क) (3) के अंतर्गत स्वप्रेरणा से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 13–7–2006 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रूपये 7,25,000/– अवधारित कर 75,400/– रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया और यह पाते हुये कि अपीालार्थी द्वारा कपटपूर्वक दस्तावेज निष्पादन दिनांक 4–9–2004 अंकित कर मुद्रांक शुल्क के अपवंचन का प्रयास किया गया है, अतः कमी मुद्रांक शुल्क की 5 गुना रूपये 3,77,000/– शास्ति अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल 4,52,400/– रूपये शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–10–2011 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क अदा करने के लिये तैयार है, परन्तु उस पर लगाई गई शास्ति त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त की जाये । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 47 (क) में शास्ति अधिरोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत जहां कानून में कोई प्रावधान न हो वहां शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । तर्क के समर्थन में 2001 (7) एससीसी 358 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी कमांक 1 एवं 2 की ओर से सूचना उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ इस कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

5/ प्रत्यर्थी कमांक 3 द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस दिनांक को दस्तावेज पंजीकृत हुआ है उस दिनांक को अपीलार्थी संस्था को मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त करने की पात्रता नहीं थी, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क में कोई विवाद नहीं है और अपीलार्थी संस्था मुद्रांक शुल्क अदा करने के लिये तैयार भी है। इस प्रकरण में केवल यही विचार किया जाना है कि क्या कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिरोपित शास्ति वैधानिक एवं न्यायिक है अथवा नहीं । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र को देखने से स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र में निष्पादन दिनांक 4–9–2004 अंकित की गई है और प्रस्तुती दिनांक 9–12–2004 अंकित है, परन्तु दस्तावेज का पंजीयन दिनांक 18–3–2005 को हुआ है । यहां यह विचारणीय है कि जिस दिनांक 18–3–2005 को दस्तावेज पंजीकृत हुआ है उस दिनांक को अपीलार्थी गृह निर्माण समिति को मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त करने की पात्रता नहीं थी । इससे यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा दुर्भावना से मुद्रांक शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिये उक्त कार्यवाही की गई है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी संस्था पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 47 (क)में शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान नहीं होने से अपीलार्थी संस्था पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । क्योंकि संहिता की धारा 40 ख में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को 5 रूपये की राशि से लेकर 10 गुना तक शास्ति अधिरोपित करने के लिये सशक्त किया गया है । चूँकि अधिनियम में शास्ति

अधिरोपित करने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को अधिकृत किया गया है, अतः भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है और न ही अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत से अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त होता है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–2011 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर